

राजस्थान सरकार
राजस्व (पुप-६) विभाग

क्रमांक प-9(126)राज-6/2012/ १०

जयपुर, दिनांक - १२-०४-१७

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, सख्त्या 15) की धारा 260 की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा ९०-ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा ९१ के अन्तर्गत तहरीलिदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतदद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 30.09.2017 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.एस. विश्नोई)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निन्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निबन्धक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषक दिनांक में प्रकाशन हेतु।
11. रा.पि.रा राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजरव विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।
14. अनुभागाधिकारी, राजस्व (समन्वय-५) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव